

सं. जेड.28015/119/2012-एच  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 17.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए)/रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) प्रदान करने से संबंधित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु।

सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, उन कर्मचारियों को एचपीसीए/पीसीए के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया जाता है, जिन्हें 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार एचपीसीए/पीसीए की प्राप्ति हो रही थी।

2. इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की आई.डी.सं.ए-27023/1/2017/ई.बी/7वां वेतन आयोग दिनांक 16.04.2018 की सहमति से जारी किया जाता है।



(एम.के.सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूभाष : 23061521

सेवा में,

- i. स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों (मानक सूची के अनुसार) की प्रमुख
- ii. सभी अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक (सीजीएचएस)
- iii. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- iv. रेलवे मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
- v. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- vi. रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- vii. श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
- viii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- ix. शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- x. मेडिकल सुपरिटेण्डेंट, डॉ. राम मनोहर लोहिया, नई दिल्ली
- xi. मेडिकल सुपरिटेण्डेंट, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
- xii. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सहायक अस्पताल, नई दिल्ली
- xiii. जेसीएम अनुभाग, स्वा.और परि.कल्याण मंत्रा. - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को सभी मान्यताप्राप्त संघों आदि को परिचालित करें।
- xiv. महासचिव, अखिल भारत सीजीएचएस कर्मचारी संघ, 69, साकेत कुंज, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।
- xv. समेकित वित्त प्रभाग, स्वा.और परि.कल्याण मंत्रा., नई दिल्ली
- xvi. एनआईसी, स्वा.और परि.कल्याण मंत्रा., नई दिल्ली- अनुरोध है इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डालें

प्रति प्रेषित :

- i. स्वा.और परि.कल्याण मंत्रा. के सभी संयुक्त सचिव-उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी अस्पतालों/संस्थानों को परिचालित करने हेतु।
- ii. सचिव (स्वा.परि.कल्याण मंत्रा.) / सचिव (आयुष)/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वा.परि.कल्याण मंत्रा. के प्रधान निजी सचिव